

**फर्द अहकाम
(नियम 15)**

जज अदालत उपरवठडाधिकारी मुकाम राजखेड़ा
लाडवती बनाम रामबाबू
 किस्म मुकदमा दावा नं. 101/12 सन्

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज <small>राजस्थान लोक अदालत अभियान संग्रह आपके द्वारा-2018</small> | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुये |
|---------------|---|--|
| 6/6/18 | <p>पत्रावली आज राजस्थान लोक अदालत कैम्प डिर्दोली में पेश हुयी। कैम्प में पक्षकार उपस्थित आये। पक्षकारों ने कहा कि अग्रिम क्लब द्वारा समझाईश करने पर हमने सहमति से अपना बंटवारा कर लिया है हमारा बंटवारा कर दिया जावे। कैम्प में ही मु.अभि. निरीक्षक एवं पटवारी को मुताबिक हिस्से कुरैजात प्रस्ताव तैयार किये जाने हेतु आदेशित किया गया। पटवारी दल्ला द्वारा कुरैजात प्रस्ताव तैयार कर पेश किये जिस पर पक्षकारों द्वारा सहमति दी गयी। तथा मुताबिक कुरैजात प्रस्ताव बंटवारा किये जाने हेतु निकेदन किया। अतः न्यायालय दावा मुताबिक कुरैजात प्रस्ताव डिक्री किया जाना उचित समझता है।</p> <p>अतः आदेश है कि दावा वादीया मुताबिक कुरैजात प्रस्ताव अग्रिम रूप से इस प्रकार डिक्री किया जाना है कि लाडवती पत्नी गुलाबखिंद कौम लोधा सा. गैरनाश्वातेज के हिस्से में ख.नं. 99/1 (मध्य में) रकबा 0-15 बीघा किस्म वा.प्र. लगान 1-65/- रु. ख.नं. 100/1 (दक्षिण दिशा) रकबा 0-06 बीघा किस्म वा.प्र. लगान 0-66/- रु. ख.नं. 353/1 रकबा 0-02 बीघा किस्म वा.दो.</p> | |

वा. प्र. लगान 1-10/- रु. ख. नं. 357/1
(दक्षिण दिशा) रकबा 1-01 बीघा किस्म
वा. प्र. लगान 2-31/- रु. कुल कित्ता 5
कुल रकबा 2-02 बीघा 14 विघा लगान 5-87/-
रु. रहेगी। इसी प्रकार रामबाबू पुत्र कुमर
सेन हि. 2/3, वीरी सिंह पुत्र श्यामलाल हि.
268711/2798125 रामवती पत्नी हीरिया
हि. 1111/2798125 प्रेम सिंह पुत्र श्यामलाल
हि. 279803/2798125 अन्तर हि. 1/3
कैम लोधा सा. मर्दाना खातेदार के हिस्से

में ख. नं. 99/2 (उत्तर-दक्षिण दिशा)
रकबा 1-02 बीघा, वा. प्र. लगान 2-42/- रु.
रहेगी। रामबाबू पुत्र कुमरसेन का हि. 2/3
PNB शाखा मर्दाना में रهن दर्ज रहेगा।
इसी प्रकार रामबाबू पुत्र कुमरसेन हि. 2/3,
प्रेम सिंह, वीरी सिंह पि. श्यामलाल हि. बरा.
4/3 कैम लोधा सा. मर्दाना खातेदार के हिस्से

में ख. नं. 100/2 (उत्तर दिशा) रकबा 0-09
बीघा किस्म वा. प्र. लगान 0-99/- रु. रहेगी।
रामबाबू पुत्र कुमरसेन का हि. 2/3 PNB
शाखा मर्दाना में रहन दर्ज रहेगा। इसी प्रकार
गोपाल सिंह, प्रकाश पि. कुमरसेन हि. ब.
2/3 प्रेम सिंह वीरी सिंह पि. श्यामलाल हि.
1/3 कैम लोधा सा. मर्दाना खातेदार के हिस्से

में ख. नं. 100/730 रकबा 0-01 बीघा किस्म
वा. प्र. लगान 0-08/- रु., ख. नं. 353/2
(दक्षिण दिशा) रकबा 0-02 बीघा किस्म वा. प्र.
लगान 0-15/- रु., ख. नं. 363/2 (दक्षिण दिशा)
रकबा 0-16 बीघा किस्म वा. प्र. लगान
1-76/- रु. कुल कित्ता -3 कुल रकबा
0-19 बीघा कुल लगान 1-99/- रु. रहेगी।

उपस्थित
राजावत

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुये

इसी प्रकार गोपाल सिंह हि. 1/3, प्रकाश
हि. 1/2 पि. कुमारसैन, प्रेमसिंह पुत्र श्यामलाल
हि. 1/6 कौम लोधा सा. मर्दाना खातेदार
के हिस्से में ख. नं. 357/2 (उत्तर दिशा)
रकबा 1-12 बीघा, किस्म बा. प्र. लगान
3-52 रु. रहेगी। उक्त समस्त आराजी
ग्राम इन्द्रावली तहसील राजखेड़ा में
स्थित है। तहसीलदार राजखेड़ा को
उक्तानुसार खातेदारों के एक-एक
खाते कायम किये जाने हेतु आदेश
दिये जाते हैं। पचास दिवस लगान 10
(दस) गुणा स्याम्प पेश होने पर जारी
हो। निर्णय राजस्व लोक अदालत कैम्प
दिल्ली में सुनाया गया। पत्रावली फल
बुमार होकर दाखिल दफ्तर है।

राजस्व लोक अदालत अभियान
न्याय आपके द्वार-2018

उपखण्ड जजिकारी
राजखेड़ा (बालपुर)